न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 78/2019/अपील/एलआरएक्ट/बांरा
दायरा दिनांकः 26.9.2019
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

संजीव चौपडा आ0 चन्द्रमोहन जाति खत्री निवासी 4 सी 22 अटवाल नगर कोटा ।

...अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती विमला चौपडा (मृतक) जरिये कायम मुकामान–
1/1– ललित मल्होत्रा पुत्र जगननाथ मल्होत्रा
1/2– राजीव मल्होत्रा पुत्र जगन्नाथ मल्होत्रा
1/3– रोजी चौपडा पत्नी विनोद चौपडा पुत्री जगन्नाथ मल्होत्रा
निवासीगण मकान नं0 ए–27 राजेन्द्र बिहार न्यू आकाशवाणी कॉलोनी कोटा
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज जिला बांरा।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री अतुल वशिष्ठ अभिभाषक–अपीलार्थी
श्री अमित शर्मा अभिभाषक –रेस्पोडेन्ट्स

::निर्णय::

दिनांक 6.6.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 5/2017 अपील बउनवान संजीव चौपडा बनाम श्रीमती विमला चौपडा वगे0 मे पारित निर्णय दिनांक 19.8.2019 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधि0 की धारा 76 के अन्तर्गत न्याया0 हाजा मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है, कि ग्राम खेडली स्थित आराजी का कृष्णलाल की मृत्यु उपरांत ग्राम पंचायत खण्डेला द्वारा रेस्पो0 कम–1 विमला देवी हिस्सा 1/2 तथा शेष हिस्सा 1/2 चन्द्रमोहन के वारिसान के हक मे नामा0 सं0 358 दिनांक 20.10.2011 तस्दीक किया गया। उक्त नामा0 अपीलांट व उसके भाई बहिनो को सुने बिना पक्षपात पूर्ण तरीके से तस्दीक किये जाने से नामा0 निरस्त करने हेतु अपीलांट द्वारा अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज मे पेश की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 19.8.2019 से खारिज किये जाने से व्यथित होकर द्वितीय अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 6.10.2016 की पालना मे प्रकरण का गुणावगुण पर विचार नही कर बिना साक्ष्य सबूत के निर्णय पारित किया है। आक्षेपित निर्णय मे वसीयत का कोई विवेचन नही किया गया तथा ना ही साक्ष्य लिये गये। अपीलांट के स्व0 दादा कृष्णलाल द्वारा अपनी सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति की वसीयत दिनांक 19.8.1989 को अपने पुत्र चन्द्रमोहन के पक्ष मे उपपंजीयक कोटा के यहा रजिस्टर्ड करवाई थी जिसमे रेसपो0 कम–1 को कोई हिस्सा नही

दिया था इसलिये वसीयत के आधार पर सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति का एकमात्र मालिक अपीलांट के पिता स्व0 चन्द्रमोहन थे उक्त तथ्य पर विवेचन किये बिना ही जेरअपील निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है।अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.8.2019 एंव इंतकाल सं0 358 दिनांक 20.10.2011 निरस्त किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस मे अपील के तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा के रिमाड निर्देश दिनांक 6.10.2016 की पालना नही की प्रकरण मे गुणावगुण के आधार पर विचार नही कर बिना साक्ष्य सबूत के निर्णय पारित किया है। आक्षेपित निर्णय मे वसीयत का कोई विवेचना नही की है। अपीलांट के स्व0 दादा कृष्णलाल द्वारा अपनी सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति की वसीयत दिनांक 19.8.1989 को अपने पुत्र चन्द्रमोहन के पक्ष मे उपपंजीयक कोटा के यहा रजिस्टर्ड करवाई थी जिसमे रेसपो0 कम–1 को कोाई हिस्सा नही दिया था इसलिये वसीयत के आधार पर सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति का एकमात्र मालिक अपीलांट के पिता स्व0 चन्द्रमोहन थे उक्त तथ्य पर पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवेचन किये बिना ही जेरअपील निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अंत मे अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 की ओर से प्रकरण मे लिखित बहस पेश की जिसका संक्षिप्त मे सार यह है कि वादग्रस्त आराजी का इंतकाल सं0 358 दिनांक 20.10.2011 स्व0 कृष्णलाल चौपडा की मृत्यु के बाद दर्ज हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील निर्णय मे यह माना गया है कि वसीयत मे ग्राम खेडला की जमीन का कोई उल्लेख नही है उपरोक्त वसीयत केवल मात्र डडवाडा (कोटा) की सम्पत्तियों के संबध मे है। अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय मे वसीयत पेश नही की वसीयत रिकार्ड पर नही है। विमला चौपडा की मृत्यु उपरांत नामा0 सं0 7 दिनांक 3.2.22 को उसके वारिसान रेस्पो0 के पक्ष मे खोला गया अपीलांट द्वारा इस इंतकाल को चुनोती नही दी गई। अपीलांट द्वारा तथाकथित वसीयत 19.8.89 के आधार पर इंतकाल खोलने के लिये कोई आवेदन नही किया गया। तथा कथित वसीयत संदेहास्पद है क्योंकि इस वसीयत मे वसीयत के गवाहों के नाम फर्जी है तथा वसीयत के निष्पादन की तिथी मे भी फर्जीवाडा है। स्व0 कृष्णलाल चौपडा के द्वारा वसीयत मे चन्द्रमोहन चौपडा को निर्देशित किया था कि विमला के तीनो बेटो के विवाह पर 5000–5000/–रूपये देने तथा 40X40 वर्गफीट का एक–एक प्लाट डडवाडा (कोटा) की कृषि भूमि से देना होगा लेकिन स्0 चन्द्रमोहन चौपडा द्वारा वसीयत के उपरोक्त बिन्दू की पालना नही की। उपरोक्त वसीयत की जानकारी अपीलांट को पहले से ही थी। दिनांक 24.7.2011 को चौपडा परिवार व मल्होत्रा परिवार के मध्य आपसी सहमति बनने पर दोनो पक्षो के द्वारा एक स्टाम्प आलेखित कर नोटेरी से तस्दीक करवाया गया जिसमे खेडला स्थित कृषि भूमि पर आधा हिस्सा विमला मल्होत्रा का एंव आधा हिस्सा अपीलांट की माता कमलेश चौपडा व उनके पुत्र पुत्री का होना तय किया गया। उक्त स्टाम्प मे आलेखित तथ्यों को प्रमाणित करते हुये अपीलांट के सगे भाई नवीन चौपउा द्वारा उक्त स्टाम्प को आईडेन्टीफाईड किया हुआ है तथा दिनांक 19.5.2013 को अपीलांट संजीव चौपडा व रेस्पो0 ललित मल्होत्रा के द्वारा संयुक्त रूप स मुख्तारआम के रूपम` एक विक्रय पत्र सरनजीत और जगतार सिंह निवासी खेडला जिला बांरा के पक्ष मे निष्पादित किया तब भी अपीलांट को इन्तकाल सं0 358 की जानकारी थी तथा अपीलांट के द्वारा इस इंतकाल को प्रथम बार अपील के माध्यम से वर्ष 2016 मे प्रथम बार चुनौती दी गई। अपीलांट के पिता चन्द्रमोहन चौपडा की मृत्यु दिनांक 22.2.2000 के बाद से ही वसीयत के तथ्यो के अनुरूप मृतक के पुत्र पुत्रीयो व पत्नी द्वारा चल अचल सम्पत्ति का उपयोग उपभोग किया जा रहा है। जिसमे से डडवाडा स्थित मकान वर्तमान मे वसीयत के अनुसार नवीन चौपडा के अधिपत्य मे है तथा अपीलांट संजीव चौपडा को इस बात की जानकारी है कि वसीयत के अनुसार ही नवीन चौपडा उक्त मकान पर काबिज है। अपील मे वर्णित वसीयत किसी भी सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नही की गई। ना ही किसी सक्षम अधिकारी न्यायालय द्वारा उपरोक्त वसीयत को प्रमाणित किया गया। अपीलांट के द्वारा

अति. सं. आयुक्त

इस वसीयत की प्रोबेट आदि भी प्राप्त नही की गई। इस कारण वसीयत के आधार पर अपीलांट को कोई अधिकार प्रापत नही होते है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील खारिज की जावे।

5 हमने पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट तथा रेस्पो0 की ओर से प्रकरण मे प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम खेडला का ग्राम पंचायत खण्डेला तहसील किशनगंज द्वारा इंतकाल सं0 358 दिनांक 20.10.2011 मृतक कृष्णलाल के स्थान पर मुताबिक सजरा उसके वारिसान के नाम दर्ज किया गया है जिसमे हम किसी प्रकार का विधिक एंव तथ्यात्मक दोष नही पाते है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण मे उभय पक्षकारान को सुनवाई एंव साक्ष्य सबूत पेश करने का विधिवत अवसर प्रदान करते हुये पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर विचार कर तथ्यों का समुचित परीक्षण कर निर्णय दिनांक 19.8.2019 से अपील को खारिज किया है। अतः हस्तगत अपील प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर विचार किये बगेर आक्षेपित निर्णय पारित कर दिये जाने संबधी अपीलांट का कथन आधारहीन होना प्रकट होता है। उपरोक्त विषलेशण अनुसार अपील खारिज किये जाने योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उपर्युक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 6.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा